

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-05/2018/एस-2-3252/दस-2017-127(2)/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 09 जनवरी, 2018

कार्यालय-आदेश

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-ख के पद साधारण वेतनमान रू0 8000-13500 (पुनरीक्षित वेतनबैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के चयन वर्ष 2015-16 (अनुपूरक चयन) में रिक्त पदों पर सहायक/उप कोषाधिकारी संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा चयन कराये जाने के संबंध में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में गठित चयन समिति की दिनांक 01-11-2017 को सम्पन्न बैठक की संस्तुति उप सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या-07(V)/03/ पी0/एस-5/2016-2017, दिनांक 28-11-2017 द्वारा शासन में प्राप्त हुई।

2- लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल सहायक/उप कोषाधिकारी संवर्ग वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4800/- में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित 05 सहायक/उप कोषाधिकारियों को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-ख, वेतनबैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित पद/स्थान पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम@ वर्तमान पद/तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का पद/स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री श्रीराम दूबे सहायक/उप कोषाधिकारी, वाराणसी।	वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि, वाराणसी।	चयन वर्ष 2015-16 (अनुपूरक चयन) की रिक्ति के सापेक्ष
2	श्री ईश्वर चन्द्र सहायक/उप कोषाधिकारी, गोरखपुर	वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया।	--तदैव--
3	श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय सहायक/उप कोषाधिकारी, महराजगंज।	वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर।	--तदैव--
4	श्री पुरुषोत्तम लाल सहायक/उप कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।	वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।	--तदैव--
5	श्री गनेशीलाल सहायक/उप कोषाधिकारी, आगरा ।	वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस।	--तदैव--

- 3- उक्त पदोन्नत अधिकारी, शासन एवं निदेशक कोषागार 30प्र0 लखनऊ को अपना कार्यभार प्रमाणक प्रस्तुत करेंगे।
- 4- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को 30प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली,1992 (यथासंशोधित) के नियम 24 एवं 30प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 यथासंशोधित 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।
- 5- उक्त पदोन्नत अधिकारियों के सेवा संबंधी प्रकरण 30प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 यथासंशोधित एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों से आच्छादित होंगे।

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव।

संख्या-05/2018/एस-2-3252(1)/दस-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण महानिदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 3- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 4- निदेशक, कृषि निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक कोषागार निदेशालय 30प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, पेंशन/वित्तीय प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान/आंतरिक लेखा,30प्र0 लखनऊ।
- 7- जिलाधिकारी, देवरिया/वाराणसी/कुशीनगर/इलाहाबाद/हाथरस।
- 8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री 30प्र0 इलाहाबाद को गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।
- 9- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया/वाराणसी/कुशीनगर/इलाहाबाद/हाथरस।
- 11- मुख्य चिकित्सा अधिकारी,हाथरस/कुशीनगर/देवरिया।
- 12- संयुक्त निदेशक, कृषि, वाराणसी।
- 13- संबंधित अधिकारीगण।
- 14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।